खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार

पुनरीक्षण वाद संख्या–04 / 2025

जिला–भोजपुर

मेसर्स पाई इनफिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 ... वादकर्ता

बनाम

समाहर्त्ता, भोजपुर एवं अन्य ... प्रतिपक्ष

आदेश

27.02.2026

A यह वाद मेसर्स पाई इनफिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा समाहर्त्ता, भोजपुर के आदेश पत्रांक–139, दिनांक–14.01.2025 के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है। समाहर्त्ता, भोजपुर द्वारा इस आदेश से बालूघाट BHOJ SON-43B के एकरारनामा की अवधि विस्तारित कर0ने के अनुरोध को खारिज किया गया है।

B उभय पक्ष द्वारा समर्पित तथ्य / विधि के बिन्दु :–

1. पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा समर्पित किया गया कि:–

(क) सोन नदी में excessive discharge से Environmental Clearance (EC) area में पहुँच पाना असंभव था, जिस कारण 54 दिनों तक वह Mining operation नहीं कर सके।

(ख) उनके द्वारा स्वयं के खर्च पर अस्थायी स्ट्रक्चर तैयार किया गया।

(ग) लीज एग्रीमेंट के Chapter VII clause 32, निविदा दस्तावेज की कंडिका–42 (XII) एवं बिहार बालू खनन नीति, 2019 की कंडिका 16 (V) खनिज अनुपलब्धता, सीमा विवाद या परिवहन में अवरोध के लिए क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होने के संबंध में है, इसलिए समाहर्त्ता का आदेश में त्रुटि है।

(घ) लीज एग्रीमेंट के Part IX, clause 4, Force majeure के प्रावधान का उल्लेख आदेश में नहीं है।

(ड़) Doctrine of temporary impossibility के सिद्धांत के तहत उन्हें अवधि विस्तार दिया जाना चाहिए।

2. खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा निम्न बिन्दु समर्पित किए गए –

(क) मेसर्स पाई इनफिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 को समाहर्त्ता, भोजपुर के पत्रांक–3957, दिनांक–02.11.2024 द्वारा बालूघाट के संचालन के लिए कार्यादेश प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुरूप खनन/प्रेषण हेतु निर्गत किया गया।

(ख) पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित अनुमत खनन योग्य मात्रा के उत्खनन हेतु बंदोबस्तधारी के लिए माहवार या तिथिवार खनन की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है।

(ग) सोन नदी में पानी की मात्रा का कम या ज्यादा होना एक सामान्य घटना है, जिसका सामना सभी बंदोबस्तधारियों को करना होता है।

(घ) प्रतिकुल स्थिति में बंदोबस्तधारी उत्पादन की मात्रा को नियंत्रित कर लेते है एवं अनुकूल स्थिति में उत्पादन की मात्रा बढ़ा लेते हैं, ताकि प्रदत्त वार्षिक खनन योग्य मात्रा के अनुरूप खनन किया जा सके।

(ड़) समाहर्त्ता, भोजपुर का आदेश नियमाकुल है एवं किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति दावा अथवा अवधि विस्तार मान्य नहीं है।

C Issue for determination -

क्या समाहर्त्ता, भोजपुर द्वारा पारित आदेश पत्रांक–139, दिनांक–14.07.2025 न्याय संगत है अथवा नहीं ?

D विवेचना –

1. पुनरीक्षणकर्त्ता ने BHOJ SON-43B की बंदोबस्ती हेतु ई–नीलामी में निविदा दस्तावेज के आधार पर भाग लिया गया।

(क) निविदा दस्तावेज की कंडिका–38 में अंकित है कि किसी बालूघाट से बालू उठाने की दशा में यदि लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो तो खनिज समानुदान धारक जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से बालू के परिवहन के लिए अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे। आवेदन की तिथि के एक माह के भीतर यदि इस संबंध में खनिज समानुदान धारक को कोई विनिश्चय संसूचित नहीं किया जाय तो यह समझा जाएगा कि संबंधित विभाग को इस प्रस्ताव में कोई आपत्ति नहीं है।

(ख) निविदा दस्तावेज की कंडिका–42 (XII) में अंकित है कि खनिज की अनुपलब्धता, मार्ग व्यवधान, सीमा विवाद इत्यादि से संबंधित कोई व्यवधान अथवा अन्यान्य कारण से उत्तोलन में बाधा उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

(ग) निविदा दस्तावेज की कंडिका–42 (XIII) में अंकित है कि बंदोबस्तधारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय/SEIAA द्वारा मॉनसून अवधि (जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति में यथा कथित) में नदी तल से खनन के लिए अधिरोपित रोक, खनिज संसाधनों की अनुपलब्धता, पहुँच पथ में किसी बाधा, सीमा विवाद अथवा उसके किसी अन्य कारण के चलते उत्पन्न किसी समस्या के कारण बालू के उत्पादन/प्रेषण में उत्पन्न अवरोध की दशा में किसी प्रतिपूर्ति का हकदार नही होगा।

उपरोक्त सभी कंडिकाओं के रहते हुए भी एवं इसकी सम्पूर्ण जानकारी होते हुए भी डाकवक्ता ने बालू की उपलब्धता, पहुँच–निकास मार्ग इत्यादि के संदर्भ में तकनीकि जाँच कराकर संतुष्ट होने के बाद ही बोली में भाग लिया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता ने स्वयं ही अपने आवेदन पत्रांक–शून्य, दिनांक–25.11.2024 द्वारा सोन नदी में अस्थायी संरचना/लोहा के पुल निर्माण हेतु खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर से विलम्ब से अनुरोध किया गया, जिसे तुरंत खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर ने पत्रांक–4158, दिनांक–29.11.2024 से कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, भोजपुर को अग्रसारित किया गया, जबकि अस्थायी संरचना के लिए ससमय आवेदन कर अनापत्ति प्राप्त करना स्वयं पुनरीक्षणकर्त्ता की जिम्मेवारी थी। उनके द्वारा स्वयं विलम्ब से कार्रवाई कर लीज अवधि विस्तार के दावे को खारिज करने का समाहर्त्ता का निर्णय सही है।

2. पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा निष्पादित लीज डीड के Part IX clause 4 निम्न प्रकार है:–

" Failure to fulfill the terms of lease due to force majeure - Failure on the part of the lessee to fulfill any of the terms and conditions of this lease shall not give the Collector any claim against the lessee or be deemed a breach of this lease, in so far as such failure is considered by the said Collector to arise from force majeure, and if through force majeure the fulfillment by the lessee of any of the terms and condition of this leave be delayed the period such delay shall be added to the period fixed by this lease. In this clause the

expression "force majeure" means act of god, war, insurrection, riot, civil commotion, a strike, earthquake, tide, storm, tidal wave flood, lightening, explosion, fire, earthquake and other happenings which the lessee could not reasonable prevent or control."

(ख) निष्पादित लीज डीड के Part VII clause 3 निम्न प्रकार है :–

"To commence operations from the date of execution of lease deed (Except rainy season) and work in a workman like manner. The lessee/lessees shall commence operation from the date of execution of the lease deed and shall thereafter at all times during the continuance of his lease search for, win, work and develop the said minerals without voluntary intermission in a skillful and workman-like manner and as prescribed under clause 12 hereinafter without doing or permitting to be done any unnecessary or avoidable damage to the surface of the said lands or the crops, buildings, structures or other property thereon. For the purposes of this clause, operations shall include the erection of machinery, laying of a tramway or construction of a road in connection with the mine."

स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रावधान में कही लीज अवधि विस्तार दिये जाने का प्रावधान नहीं है। Mining operation की परिभाषा अनुसार भी पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा बालूघाट का पहुँच पथ/अस्थायी संरचना के लिए अपनी सुविधानुसार प्रयास प्रारंभ किया गया, जो कि Mining operation का ही भाग है एवं इस विलम्ब के लिए राज्य देय नहीं हो सकता है।

अतः पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1667 /एम0, दिनांकः– 02/03/26

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, भोजपुर/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर/ **पाइ इन्फीनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर** प्रा0 लि0, प्रबंध निदेशक–रोहित कुमार, पिता–प्रेम चन्द **प्रसाद, अब्दुलपुर, रफीगंज,** थाना–रफीगंज, जिला–औरंगाबाद, ईमेल–madhumaymadhup.adv@gmail.com/आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/03/2026

सहायक निदेशक (मु0)